

प्रेस नोट दिनांक 19.02.2020

1. दिनांक 18.01.20 को वादी श्री संदीप कुमार यादव अवर अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सिविल लाइन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जय प्रकाश उर्फ राजू पुत्र लालता प्रसाद नि० दिल्ली नई दिल्ली। अभि० द्वारा वादी को जनसूचना पीआईएल में फसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 692/20 धारा 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 18.01.20 को वादी श्री सुखराम पुत्र स्व० रामधनी नि० पूरे मोहन का पुरवा खिरौनी थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम मनोरथ पुत्र राम अचल नि० पूरे मोहन का पुरवा खिरौनी थाना रौनाही अयोध्या आदि 03 नफर जिसके संबंध में अभि०गण द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना।थाना रौनाही में मु०अ०सं० 485/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 18.01.20 को वादी उ०नि० श्री देवेन्द्र नाथ राय थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जिसके संबंध में प्रेम चन्द्र पुत्र हौसिला प्रसाद नि० भवनियापुर थाना रौनाही अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। थाना रौनाही में मु०अ०सं० 486/20 धारा 60 आबकारी अधि० भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 18.01.20 को वादी उ०नि० श्री मान बहादुर सिंह थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जिसके संबंध में राम कुमार पुत्र रमेश निषाद नि० तोरोमाफी दराबगंज थाना को०बीकापुर अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 50 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना।थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं०732/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 18.01.20 को वादी श्रीमती सरिता सिंह पुत्नी धर्मेन्द्र सिंह नि० मसेढ़ा थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजेन्द्र पुत्र शिव करन सिंह नि० मसेढ़ा थाना कुमारगंज अयोध्या आदि 03 नफर पुस्तैनी जमीन बटवारे को लेकर अभि०गण द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 280/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 18.01.20 को वादी श्री राम भजन यादव पुत्र मिश्री लाल नि० मीरापुर थाना को०रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बेचू पुत्र हयात नि० मलिकजादा थाना को०रुदौली अयोध्या आदि 04 नफरगाड़ी खड़ा करने की बात को लेकर अभि०गण द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 422/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 18.01.20 को वादी उ०नि० श्री लोकेन्द्र सिंह थाना को०रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जिसके संबंध में देवराज पासी पुत्र जयपाल नि० बैतौली थाना को०रुदौली अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 423/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 18.01.20 को वादी उ०नि० श्री मनोज कुमार प्रजापति थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जिसके संबंध में राम सागर चौहान पुत्र स्व० गंगाराम नि० बालाघाट मजरे कसारी थाना मवई अयोध्या गिर०अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना थाना मवई में मु०अ०सं० 446/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।